

29.3.19

दिनांक 29.3.19 को पेश हो।

कानूनी पेश पीठमहीन अधिकारी कचहरी पर है।  
कोरे पर प्रीथीपर बरको में ब्यस्त है। अतः कचहरी  
दिनांक 24/4/19 को पेश हो।

24/4/19

24/4/19

कानूनी पेश पीठमहीन अधिकारी कचहरी पर है।  
कोरे पर प्रीथीपर बरको में ब्यस्त है। अतः कचहरी  
दिनांक 25/4/19 को पेश हो।

3/3/20

पत्रावली आज पेश हुई। मूलवाद का  
निस्तारण न्यायालय श्रीमान सहायक  
जिला वीश एवं उपखण्ड अधिकारी  
जीवपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक  
25/4/19 को किया गया था।

वादीगण द्वारा 152 CPC अंतर्गत  
प्रार्थना पत्र 27-11-19 को पेश किया  
गया था। प्रार्थना - पत्र मूलवाद में  
स्वीकार किया गया। अतः  
अतः मूलवाद का निस्तारण हो  
जाने से यह 212 राजस्थान  
कारतकारी अधिनियम 1955 का  
प्रार्थना-पत्र injunctious हो जाता है।  
अतः यह प्रार्थना-पत्र खारिज किया  
जाता है।